24

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2091–दो/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2012 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 508/208–09 अपील

1– रमेशकुमार 2– प्रताप सिंह
3– भागीरथ 4– रामगोपाल
चारों पुत्रगण स्व.शॅकरलाल मीना
निवासी ग्राम हथलेवा तहसील बुदनी जिला सीहोर
5–- श्रीमती कोमल वाई उर्फ हेमलता पुत्री शंकरलाल
पत्नि मेहरवानसिंह मीना ग्राम फेपड़ताल
तहसील व जिला होसंगावाद
6– श्रीमती फूलवाई पुत्री स्व.शॅकरलाल
पत्नि रबिशॅकर मीना
7– श्रीमती रामसुता पुत्री स्व.शॅकरलाल
पत्नि कमलसिंह मीना
8–- श्रीमती गीतावाई पुत्री स्व.शंकरलाल
पत्नि दिनेश मीना
क. 6,7,8 निवासी ग्राम रसूलिया
तहसील व जिला होसंगावाद ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र हीरालाल मीना मृत वारिस
1. श्रीमती प्रेमवाई पत्नि तुलसीराम
ग्राम हथलेवा तहसील व जिला होसंगावाद
2. श्रीमती पार्वतीवाई पत्नि रबिशंकर मीना
ग्राम फेफरताल तहसील व जिला होसंगावाद
3. श्रीमती यशोदावाई पत्नि रामकिशोर मीना
ग्राम भारकच्छ तहसील बाड़ी जिला रायसेन
4. श्रीमती सुशीलावाई पत्नि भगवान सिंह मीना
ग्राम बाहरपुर तहसील बाबई जिला होसंगावाद
5. श्रीमती रामवतीवाई पत्नि ललितकिशोर मीना
ग्राम देवरी तहसील देवरी जिला रायसेन

कृ0पृ030--2

6. श्रीमती वेदवतीवाई पत्नि गनेशराम मीना
ग्राम फेफरताल तहसील व जिला होसंगावाद
7. श्रीमती सकुनवाई पत्नि मुन्नालाल
ग्राम मुरारी तहसील बुधनी जिला सीहोर
8. श्रीमती जानकीवाई पत्नि कमलसिंह मीना
ग्राम गोदलवाड़ा तहसील वावई जिला होसंगावाद

2- अजब सिंह पुत्र बाबूलाल मीना
3- विशाल सिंह पुत्र अजबसिंह मीना
सभी ग्राम हथलेवा तहसील बुधनी
जिला सीहोर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान अभिभाषक)
(अनावेदक-के बारिसान एंव अना. 3 की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव)
(अनावेदक क्र-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 508/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार बुधनी को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम चाचमउ में बाबूलाल , शॅकरलाल पुत्रगण हीरालाल के नाम से 34-58 एकड़ का शामिलाती खाता है। बाबूलाल अपने हिस्सा 1/2 क भूमि 17-29 एक् अपने जीते जी पुत्र अजब सिंह के नाम से कराना चाहता है इसलिये मौके के कब्जा अनुसार प्रथम प्रथक बटवारा किया जावे। तहसीलदार बुधनी ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-27/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा आपत्ति प्राप्त न होने के कारण आदेश दिनांक 16-5-2002 पारित करके शॅकर लाल एंव अजब सिंह के नाम सर्वे क्र0 15/2 रकबा 17-29 एकड़ तथा सर्वे क्र0 15/1 रकबा 17-29 एकड़

समान भूमि का बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध शॅंकरलाल ने अनुविभागीय अधिकारी, बुधनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी बुधनी ने प्रकरण कमांक 15/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-6-2009 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के कारण अपील अमान्य की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 508/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2012 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। निगरानी मेमो के तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के आधारों, लेखी बहस, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार बुधनी के प्रकरण कमांक 20 अ-27/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के समक्ष दिनॉक 24-10-2007 को अर्थात लगभग 5 वर्ष 5 माह के विलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी बुधनी ने आदेश दिनांक 23-6-2009 के पेज-2 पैरा 3 में इस प्रकार विवेचना की है :-

" प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य है कि अपीलार्थी व्दारा आलोच्य आदेश के जरिये प्राप्त भूमि ग्राम चाचमउ सर्वे नंबर 15/2 रकबा 17-29 एकड़ का अपने पुत्रों के मध्य पारिवारिक बटवारा दिनांक 3-10-2004 को ग्राम पंचायत चाचमउ के जरिये कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्व प्रकरण कमांक 20 अ-27/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-02 की जानकारी पूर्व से थी। "

अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के आदेश दिनांक 23-6-2009 में की गई विवेचना एंव दिया गया निष्कर्ष दस्तावेजों से प्रमाणित आधारों पर आधारित

है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 508/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-12 में अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है, यह निगरानी ठोस आधारों पर आधारित न होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 508/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर